1

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 370355

मुखराम चेरिटेबुल ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 19.05.2015 को ग्राम–रुहीपुर, पोस्ट–चौकिया, तहसील–सदर, जनपद–गाजीपुर उ0प्र0 में उदय प्रताप सिंह यादव पुत्र श्री मुखराम सिंह यादव ग्राम–रुहीपुर, पोस्ट–चौकिया, तहसील–सदर, जनपद–गाजीपुर उ0प्र0 द्वारा घोषित किया गया जिसे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक पर रु0 5000/– (पांच हजार रुपये मात्र) की राशि है जिसे कि वह पुरुषार्थ सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति संहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाजउत्थान एवं विशेष रुप से शिक्षा का कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट मुखराम चेरिटेबुल ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा। जिसे कि आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतों से दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष, सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाएं ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रुप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 5000/– (पांच हजार रुपये मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की।

और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम–रुहीपुर, पोस्ट–चौकिया, तहसील–सदर, जनपद–गाजीपुर उ0प्र0 रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय ग्राम–रुहीपुर, पोस्ट–चौकिया, तहसील–सदर, जनपद–गाजीपुर उ0प्र0 अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समयानुसार समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है।

2

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 370356

मुखराम चेरिटेबुल ट्रस्ट

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली :–

ट्रस्ट के उद्देश्य– ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

1. बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, पी०जी०कालेज, बी०एड०, बी०पी०एड०, बी०टी०सी०, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाआश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रो, सर्वेक्षण केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान, केन्द्रों की स्थापना करना नामकरण विकास, सम्बद्ध–आबद्ध प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों, आदि से उनमान्य सम्बद्ध–आबद्ध पंजीकृत अनुमोदित स्वीकृति करा सकना।
2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षा एवं नमी संरक्षण करना।
5. उद्यानिकरण एवं जंगलात् का विकास करना।
6. महिला एवं बालविकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम का संचालन करना।
7. प्रयोगात्मक परीक्षाओं के तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।

उदयराम

वरिष्ठ कोषाधिकारी
05 MAY 2015
गाजीपुर

लेख पत्र

5,000.00

न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
	100.00	60	160.00	3,000

श्री उदय प्रताप सिंह यादव
पुत्र श्री मुखराम सिंह यादव
व्यवसाय अन्य
निवासी स्थायी रूहीपुर पो0 चौकिया तहसील सदर जिला गाजीपुर
अस्थायी पता 0
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 19/5/2015 समय 2:55PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
पी.के. सिंह
उप निबन्धक सदर
गाजीपुर
19/5/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री उदय प्रताप सिंह यादव
पुत्र श्री मुखराम सिंह यादव
पेशा अन्य
निवासी रूहीपुर पो0 चौकिया तहसील सदर जिला गाजीपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री राजेश यादव
पुत्र श्री शिवदान यादव
पेशा अन्य
निवासी आराजी ओहासन बिरनो गाजीपुर
व श्री अजय दूबे
पुत्र श्री धुरन दूबे
पेशा अन्य
निवासी खलिसापुर पो0 चौकिया जिला गाजीपुर
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
पी.के. सिंह
उप निबन्धक सदर
गाजीपुर
19/5/2015

3

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 370357

8. कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।

9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संशाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण, सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरु युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रमों का संचालन करना।

10. आई0आई0टी0, आई0टी0आई0, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, ऑपरेशन, टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, फिजियोथीरैपी आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजिनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।

11. समाज के लोगों के लिए हास्पीटल, नर्सिंग होम स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान, फोटो स्टेट, टाइपिंग, कम्पनी फर्म, इत्यादि की व्यवस्था करना।

12. पुस्तकालय वाचनालय, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।

13. अंधे, गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।

14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला वाणिज्यिक वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकि, सामाजिक, आधुनिक, भाषा अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों को विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

वरिष्ठ कोषाधिकारी

05 MAY 2015

गाजीपुर

न्यासी

Registration No.: 50 Year 2,015 Book No.: 4

0101 उदय प्रताप सिंह यादव

सुखराम सिंह यादव

अलीपुर पो0 चौकिया तहसील सदर जिला गाजीपुर

अन्य

4

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BA 370358

15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र/छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं का व्यवस्था करना।

16. पुस्तकों साहित्य, पत्रों पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।

17. सास्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, गोष्ठियाँ, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं, बैठकें, विशेष कक्षाएं, सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।

18. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रिन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एव व्यवस्था करना।

19. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, विधि महाविद्यालयों, इंजिनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित एवं उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।

20. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।

21. विधिसम्मत्ति उपयोगी जानकारी का प्रचार प्रसार कर सकना।

22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन कर सकना एव उसका प्रचार एव प्रसार कर सकना।

23. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एव सेमिनार कर सकना।

24. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार-प्रसार कर सकना।

25. पुस्तक, पुस्तिकायें, पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित, वितरित व विक्रय कर सकना।

5

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | भारत | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 370359

26. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।

27. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्था कर सकना।

28. उपभोक्ता अधिकार पर्यावरण सुधार ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जनचेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।

29. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोधार कर सकना।

30. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।

31. विभिन्न आयोजनो एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।

32. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/इंजिनियरिंग कालेजों/प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।

33. ट्रस्ट जन सामान्य के द्वितीय कार्य करेगा ट्रस्ट तथा अपनी सेवाएं/वस्तुएं लागत मूल्य पर भी देने का प्रयास करेगा ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़ंजा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, आदि का कार्य एवं प्रचार कर सकना।

34. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 370360

35. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए कार्य करेगा।
36. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पॉलिक्लिनिक का निर्माण करना।
37. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्थान किये गये माल का आयात व निर्यात करना।
38. संगठन को मजबूत क्रियाशील बनाने के लिए प्रदेश देश स्तर पर पदाधिकारियों को चयन करना एवं अधिकार देना।
39. दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराईयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना।
40. धरना प्रदर्शन कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुँचाना।
41. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना।
42. संविधान के तहत मानवाधिकार एवं उसके नियम क्रिया-कलापों के बारे में जानकारी प्रदान करने की कार्यप्रणाली को विकसित करना।

प्रारम्भिक उपबन्धः–

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से **श्री उदय प्रताप सिंह यादव** जो कि न्यासकर्त्ता एवं न्यास विलेख के रचयिता भी हैं को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।

(सुरेश चन्द्र गुप्ता)

वरिष्ठ कोषाधिकारी

05 MAY 2015

गाजीपुर